भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3398

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

एमएसएमई क्षेत्र में विकास

3398. डॉ. राजीव भारद्वाज:
सुश्री सयानी घोष:
श्री शफी परम्बिल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में पिछले दस वर्षों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र के योगदान की वृद्धि का प्रतिशत राज्यवार और वर्षवार कितना है;

(ख) क्या सरकार द्वारा आगामी वर्षों के लिए सकर घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कुल एमएसएमई इकाइयों का प्रतिशत कितना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में पंजीकृत एमएसएमई की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ङ) एमएसएमई में पिछले दस वर्षों के दौरान नियोजित लोगों की वर्षवार आकलित संख्या कितनी है;

(च) पंजीकृत एमएसएमई सहित उद्यम पोर्टल में पिछले दस वर्षों के दौरान, वर्षवार, बंद किए जा चुके या बंद हो चुके एमएसएमई कौन से हैं; और

(छ) सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था का तीस प्रतिशत और रोजगार का लगभग चालीस प्रतिशत भाग है, को सबसे अधिक चिंताजनक और गंभीर समस्याओं से उबरने में सहायता करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का राज्य-वार योगदान एमओएसपीआई द्वारा संकलित नहीं किया जाता है। हालांकि, 2014-15 से 2023-24 के दौरान अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का भाग इस प्रकार है:

वर्ष	अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई जीवीए का हिस्सा (% में)
2014-15	29.72
2015-16	29.48
2016-17	29.25
2017-18	29.69
2018-19	30.5
2019-20	30.48
2020-21	27.27
2021-22	29.64
2022-23	30.25
2023-24	29.60

एमएसएमई द्वारा निर्यात का राज्य-वार डेटा नहीं रखा जाता है। वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के डेटा प्रसार पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात का भाग इस प्रकार है:

वर्ष	अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात का हिस्सा (% में)
2021-22	45.03%
2022-23	43.59%
2023-24	45.73%

(ग) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म पर पंजीकरण प्रक्रिया, शहरी और ग्रामीण उद्यमों के बीच अंतर नहीं करती है।

(घ) और (ङ) : दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया था। दिनांक 15.03.2025 तक, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर केरल राज्य में पंजीकृत एमएसएमई की जिलेवार कुल संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में है। देश में 15.03.2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई में रोजगाररत व्यक्तियों की संख्या 26.09 करोड़ है।

वर्ष	**रोजगार**
2020-21*	2,73,18,171
2021-22	3,48,85,063
2022-23	4,55,88,702
2023-24	7,39,75,638
2024-25#	7,91,54,727
Total	26,09,22,301

** 01.07.2020* से

 # 15.03.2025 तक

(च) : दिनांक 01.07.2020 से 15.03.2025 तक उदयम पंजीकरण पोर्टल के तहत बंद किए गए एमएसएमई की कुल संख्या का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(छ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, खरीद और विपणन सहायता योजना, एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवर्धन और गतिवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम, राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब, एमएसएमई चैंपियंस, पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कई पहलें शुरू की हैं। इनमें से कुछ पहलों में निम्न शामिल हैं:

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 90% तक की गारंटी कवरेज के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 500 लाख रूपए (दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण।
ii. आत्म-निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस का प्रावधान है।
iii. व्यवसाय की सुगमता के लिए "उद्यम पंजीकरण" के माध्यम से एमएसएमई का पंजीकरण।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
v. एमएसएमई के स्तर में उन्नयन की स्थिति में गैर-कर का लाभ 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
vi. विवाद से विश्वास-I के तहत, एमएसएमई के लिए कार्यनिष्पादन सिक्योरिटी में की गई कटौती, निविदा सिक्योरिटी और लिक्विडेटेड क्षति का 95% वापिस करके राहत प्रदान की गई है।
vii. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (पीएसएल) को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3398, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म के तहत केरल राज्य में पंजीकृत कुल उद्यम जिलेवार					
क्र.सं.	**जिला**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25#**
1	अलप्पुझा	6,993	10,134	56,841	31,641
2	एर्नाकुलम	17,725	23,317	74,690	51,778
3	इडुक्की	2,809	6,243	15,542	15,104
4	कन्नूर	8,371	13,929	30,496	31,197
5	कासरगोड	3,997	6,738	15,161	13,858
6	कोल्लम	7,357	13,182	50,503	40,692
7	कोट्टायम	6,688	9,525	33,926	27,642
8	कोझिकोड	10,987	17,646	41,007	47,648
9	मलप्पुरम	9,217	13,928	37,341	46,086
10	पलक्कड़	9,139	15,861	73,509	45,083
11	पथानामथिप्टा	3,655	6,383	21,145	16,589
12	तिरुवनंतपुरम	15,298	20,735	94,338	63,076
13	त्रिशूर	12,327	17,250	68,845	46,439
14	वायनाड	2,627	4,920	9,225	12,855
	कुल:-	**117,190**	**179,791**	**622,569**	**489,688**

*उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म *11.01.2023* को लॉन्च किया गया

#15.03.2025 तक

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3398, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अंतर्गत बंद हुए कुल एमएसएमई	
क्र.सं.	**कुल**
2020-21*	175
2021-22	6,222
2022-23	13,290
2023-24	19,828
2024-25#	37,467

** 01.07.2020* से

 # 15.03.2025 तक